राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

ासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

ामा संख्या :– 192/2024 ग्रा०पथ

ा. जग्गू S/o मनरूप गुर्जर नि० उम्री - ह० करेड़ा प्रार्थी

बनाम

ा. जोगसिंह S/o भूरसिंह राजपूत नि० उम्री - ह० करेड़ा विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 6/8/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर न किया कि ग्राम उम्री....... पटवार हल्का उम्री..... तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता ा101 आराजी नम्बर 101/3, 168/4, 169, 210/1, 211/1, 212/1, 36, ...

....

ेता 7...... रकबा 4.4262............. हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी विया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने / संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6/6/24.......... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को ाकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही था न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम............ उम्री.......... पटवार हल्का उम्री.............. तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 101 आराजी नम्बर...... 101/3, 168/4, 169, 210/1, 211/1, 212/1, 36, ...

....

ाकिता 7 किता रकबा 4.4262....... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु ारगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक करेड़ा........ को 1250/—/– रुपये कमिश्नर फीस पर ेश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर कारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर ारगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

ाग्न:– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा

ातिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की ाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा